

अग्रज सिंह

ना जागन्मूल

174
7

2

मुकदमा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

मुदना मु.माल

53/17

हुकम या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुआ
----------------------------------	---

यह प्रा. पत्र प्रार्थीगण की ओर से श्री जीतपाल सिंह Adu. के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी वकील को सुना गया। प्रस्तुत कागजात का अवलोकन किया गया प्राथमिक दृष्टि से सन्तुष्ट होकर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे की विवाद ग्रस्त भूमि प्लॉ 15 LMA, II-B खतासं 47/43 के मुन० 9 वी 4.048 तथा खतासं 46/44 के मुन० 8 वी 1.240 हैं, मुन० 9 वी 0.987 है कुल 2.227 है भूमि में से 1/4 हिस्सा तथा प्लॉ 15 SDM के खतासं 38/34 के मुन० न० 75 वी 2.78 है नदीभूमि के खतानुसार आगामी पेशी तक रिकॉर्ड एवं मौज की यथास्थिति बनाई रखी जावें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होकर दिनांक 21/4/17 को पेश हो। अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जावे जिसके लिए वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड लिफाफे प्रस्तुत करें। तथा पेशी से पूर्व नोटिस रजिस्टर्ड करवाने की रसीद पेश करें।

250


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

21-4-17 पत्रावली पेश हुई। आज बार सभ ने काय स्थगित रखने का निर्णय लिया है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली 5-5-17 को पेश हो

27-4-17 प्रार्थी द्वारा जारी वकील प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली पेशी के लिये जरूर प्रार्थना-पत्र मूल वाद संख्या 41/17 के संलग्न किया गया प्रार्थी द्वारा वाद नहीं चलाने का निर्णय करने हुए

Not Press
San
Jitpal Singh
अग्रज सिंह

वकील जार्जी द्वारा Note-Bress का
अंकन किया गया अतः दिनांक 7-4-17
की जारी अस्थायी निष्पत्ती को रद्द करने
की जाकर पत्रावली वर्तमान स्तर पर
रखी जाती है। पत्रावली नम्बर
से कम की जाकर बाइ लकमील शक्ति
रखते हैं।


(मशाल उद्देश्य)
उपनिर्देश अधिकारी
श्रीगंगानगर

(कमला) विभागीय इन्स्पेक्टर इन्सुअरिंग

दिनांक 7-4-17
श्रीगंगानगर